



शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सं० : 88 -विनियम एवं औस/पाकालि/10-5-रेगु/88

दिनांक: 05.08.10

### कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.07.2010 को सम्पन्न हुई 84वीं बैठक में उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 के भाग-III, भर्ती का स्रोत, विनियम-5(3) में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 130-विनियम एवं औस/पाकालि/09-5 रेगु/88 दिनांक 06.07.09 के निम्न अंकित स्तम्भ-1 के वर्तमान प्राविधानों को आंशिक रूप से संशोधित कर स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

स्तम्भ -1 विनियम 5(3) : भर्ती का स्रोत	स्तम्भ -2 विनियम 5(3) : भर्ती का स्रोत
5(3) " Notwithstanding anything contained in these Regulations the Board may make appointments to the service, in relaxation of these Regulations, from among employees of Electricity undertakings or similar organisations which have been taken over or which may, in future, be taken over by the Board or five Assistant Engineers per year may be selected from the first five merit position holders from such other Institutes/Colleges in which admissions are made through IIT-JEE/ALL India Engineering Entrance Examination (AIEEE) or such other Institutes as the Board may decide from time to time on such terms and conditions as may be decided by the Board."	5(3) " Notwithstanding anything contained in these Regulations the Board may make appointments to the service, in relaxation of these Regulations, from among employees of Electricity undertakings or similar organisations which have been taken over or which may, in future, be taken over by the Board or five Assistant Engineers per year may be selected from the Top five merit position holders, applying for the said post from such other Institutes/Colleges in which admission are made through IIT-JEE/ALL India Engineering Entrance Examination (AIEEE) and Government Colleges recognized by UP Technical University, UP or such other Institutes as the Board may decide from time to time on such terms and condition as may be decided by the Board. "

- उपरोक्त के अन्तर्गत भर्ती करते समय निगम में प्रभावी आरक्षण नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 (यथासंशोधित) के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।


निदेशक मण्डल की आज्ञा से  
नवनीत सहगल,  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कृ०प्र०उ०

संख्या :-88 (1) विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/10 तददिनांक : 5/8/2010

प्रतिलिपि : कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- (3) अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा० ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० /उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- (5) समस्त निदेशक गण, उ०प्र०पा०का०लि० के निजी सचिव।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर।
- (7) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (8) अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/अरा०/काविनी/महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (9) समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ०प्र०पा०का०लि०।
- (10) कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ को उनके पत्रांक 692-पाकालि/बैठक (84)/2010 दिनांक 28.07.2010 के सन्दर्भ में।
- (11) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु।
- (12) पत्रावली सं०-11-विनियम/88

  
(जावेद अहमद) 5/8/10  
अनुसचिव (विनियम)